जैव विविधता एवं विधि–निर्माण का पर्यावरणीय अध्ययन

डॉ. उपेन्द्र कुमार

शोधार्थी

स्वच्छ एवं उत्पादक पर्यावरण में रहना मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है। उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का स्वस्थ एवं स्वच्छ होना आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्रों को टिकाऊ अवस्था में बनाये रखने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत–से सराहनीय प्रयास किये गये, जिनमें निरंतर प्रगति हो रही है। पारिस्थितिकी को उपजाऊ तथा टिकाऊ बनाने के बारे में निम्न दो प्रयास बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। स्टाकहोम कांफ्रेस 1972 तथा रियो–डि–जेनेरियो में 1992 में आयोजित की जाने वाली पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) इन दो में से 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) को भारी सफलता मिली थी। इस पृथ्वी शिखर सम्मेलन (Earth Summit) में सभी भाग लेने वाले देशों ने गंभीरता के साथ पारिस्थितिकी को स्वस्थ बनाने के लिये सहयोग देने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित में पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधित कुछ प्रमुख विधानों (legislations) का संक्षिप्त में वर्णन किया गया है।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन

संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से 1992 में रियो डि जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित की गई थी। इस शिखर सम्मेलन में 150 देशों के 1400 से अधिक एनजीओ और 8,000 से अधिक पत्रकारों ने हिस्सा लिया था। इस कांफ्रेंस का मुख्य मुद्दा एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 के अंतर्गत पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की उत्पादकता तथा टिकाऊ बनाने के लिये गम्भीरता से विचार किया गया था। UNCED के जनरल सेक्रेट्री, मौरिस एफ. स्ट्रोंग जो कनाडा के

नागरिक थे, उन्होंने एजेंडा 21 के बारे में कहा हमारी पृथ्वी के सभी लोग, विशेषकर युवा पीढ़ी तथा उनके उत्तराधिकारी हमको जिम्मेदार ठहरायेंगे, यदि हम इस सम्मेलन के उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाये। पृथ्वी ही हमारा एकमात्र रहने का स्थान है, इसका भविष्य हमारे हाथों में है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें कि हम इस पृथ्वी पर सब साथ–साथ हैं।

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पाँच संधियाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप निम्न पाँच बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये–

1. जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क

यह एक कानूनी संधि है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के बढ़ते हुये तापमान का विश्व पर मूल्यांकन करना था। अगस्त 1992 में इस संधि पर 154 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे। **''आरंभिक रूप से ऐसा टाइम टेबिल (ज्पउम ज्ंइसम) तैयार करना है, ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके। पृथ्वी सम्मेलन की इन संधियों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हालांकि हस्ताक्षर नहीं किये थे।''**[1] यूरोपीय समुदाय कनाडा, जापान तथा अधिकतर सदस्य देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के नियंत्रण से सहमत थे।

2. जैविक विविधता संधि

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक कानूनी संधि है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर जैविक विविधता को संरक्षण प्रदान करना है। इस संधि से सभी राष्ट्रों में जैव–प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना था, विशेष रूप में ऊष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र को टिकाऊ बनाने के लिये इस संधि पर 161 राष्ट्र ने हस्ताक्षर किये थे, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका, वियतनाम सिंगापुर तथा किरिबाती (प्रशांत महासागर का एक द्वीप राष्ट्र) ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। संयुक्त राज्य अमेरिका का यह व्यवहार समझ में न आने वाला था। संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संधि से सहमत न होने के कारण जैव–विविधता का मुद्दा उत्तरी तथा दक्षिणी देशों में अर्थात् विकसित एवं विकासशील देशों में विभाजित हो गया। विकसित देशों

ने उन दवाइयों के उत्पादन की क्षति पूर्ति की माँग की, जिनका कच्चा माल ऊष्णकटिबंधीय देशों के पेड़–पौधों से आता है।

''इसके विपरीत विकासशील देशों ने अपने उस कच्चे माल (पेड़–पौधों, जड़ी–बूटियों) की क्षतिपूर्ति की मांग का हरजाना तलब किया, जिनका उपयोग अंग्रेजी दवाइयों के बनाने में उपयोग होता है। हालांकि 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिये थे।''[2]

3. सभी प्रकार के वनों का प्रबंधन, संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की संधि

यह अवाध्यकारी/ ऐचिक समझौता विश्व के वनों का संरक्षण एवं उनकी धारणीय वृद्धि के लिये किया गया था। वनों की विविधता के बारे में भी विकसित एवं विकासशील देशों के बीच भारी मतभेद रहा। विकसित देशों में निरंतर अपने जंगलों को काटकर भूमि उपयोग में परिवर्तन किया है, वहीं ब्राजील व अन्य विकासशील देशों को अपने जंगलों को न काटने की सलाह दी गई, ताकि विश्व की पारिस्थितिकी पर खराब प्रभाव न पड़े। यह कै संभव हो सकता है कि विकसित देश तो कार्बन–डाइ–ऑक्साइड का अत्यधिक उर्त्सजन करते रहें और विकासशील देशों को वन संरक्षण का पाठ पढ़ाते रहें। विकसित तथा औद्योगिक देशों को अपने वन–संसाधनों के पुर्नचक्रण करने पर बल देने की आवश्यकता है। वास्तव में वन पुर्नचक्रण एक विवाद का विषय है।

4. घोषणा पत्र

यह एक ऐच्छिक समझौता है, जिसमें पर्यावरण से संबंधित 27 नियमों का विवरण प्रस्तुत गया है। पर्यावरण संबंधित ये 27 सिद्धांत मानव तथा पृथ्वी के पारस्परिक संबंध को स्थाई एवं टिकाऊ बनाने सहायक होते हैं। पर्यावरण की प्रदूषण को सहन करने की एक सीमा है। **''संसाधनों के दुरुपयोग का पर्यावरण खराब प्रभाव पड़ता है, जिससे वायु, जल, मृदा तथा पारिस्थितिकी तंत्र बुरी तरह प्रभावित हो सक है। वास्तव में वायु, जल, लकड़ी, मछली, पेट्रोलियम तथा खनिज इत्यादि सदैव के लिये नहीं बल्कि सीमित समाप्त होने वाले हैं।''[3]**

5. एजेंडा 21 टिकाऊ विकास

यह एक ऐच्छिक समझौता है, जिसे एजेंडा 21 के नाम से संबोधित किया जाता है। इस कार्य सूची के अंतर्गत टिकाऊ विकास पर बल दिया गया है।

एजेंडा–21 के मुख्य बिंदु निम्न प्रकार हैं ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा का सदुपयोग करके प्रदूषण की वृद्धि में कमी करना, जलवायु परिवर्तन, समतापमंडल की ओजोन परत का संरक्षण करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण, स्थलीय तथा सागरीय जल संसाधनों का संरक्षण, मृदा अपरदन तथा बढ़ते हुये मरुस्थलीकरण को रोकना, वन ह्रास को रोकना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का उचित प्रबंध करना, खतरनाक रासायनिक पदार्थों का सुरक्षित ढंग से आयात–निर्यात करना, तथा संपति एवं वन के असमान वितरण को कम करना।

एजेंडा 21 का विशेष बल सतत तथा टिकाऊ विकास पर है। विकासशील देश विकसित देशों से माँग कर रहे हैं कि औद्योगिक रूप से विकसित देश अपने बजट का 0.7 प्रतिशत भाग पर्यावरण के संरक्षण पर खर्च करें।

पृथ्वी शिखर सम्मेलन के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्थिर विकास आयोग संगठित किया ताकि पर्यावरण एवं संसाधनों को टिकाऊ बनाया जा सके। इस सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले देशों ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि पर्यावरण संबंधी आँकड़े एकत्रित किये जायें। इस बात पर भी परामर्श हुआ कि लंबे समय तक पुराने ढंग से संसाधनों का उपयोग करके हम पृथ्वी को टिकाऊ नहीं बना सकते।

मात्रियल प्रोटोकोल

मॉट्रियल प्रोटोकोल का आयोजन ओजोन परत का ह्रास करने वाले तत्त्वों एवं पदार्थों के संबंध में किया गया था। वास्तव में यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिनका उद्देश्य उन तत्वों एवं गैसों के उत्सर्जन के उत्पादन पर क्रमबद्ध ढंग से रोक लगाना है जिनसे वायुमंडल की ओजोन परत का ह्रास होता है। इस संधि पर 16 सितंबर, 1987 के हस्ताक्षर करने आरंभ हुए और 1 जनवरी, 1989

से यह संधि लागू की गई। इसकी पहली बैठक मई 1989 को फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुई। उसके पश्चात इस संधि में सात बार संशोधन किया जा चुका है।

संशोधन की बैठक 1990 में लंदन, 1991 में नैरोबी, 1992 में कोपेनहेगन, 1993 में बैंकाक 1995 में वियना, 1997 में मांट्रियल तथा 1999 में बीजिंग में की गई थी। आशा की जाती है कि अन्य बातें समान रहने पर वर्ष 2050 तक ओजोन पर अपनी सामान्य अवस्था/स्थिति में आ जायेगी। इस संधि पर 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे। आरंभ में वर्ष 1998 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन पर 50 प्रतिशत की कमी करना था। इस पर पुनः विचार किया गया ताकि हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर तीव्र गति से रोक लगाई जा सके।

जलवायु परिवर्तन संबंधी क्योटो प्रोटोकोल

संयुक्त राष्ट्र संघ के 1992 के सम्मेलन के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के संबंध में 1997 में जापान के क्योटो नगर में संधि की गई थी। क्योटो प्रोटोकोल एक स्वैच्छिक संधि है जिस पर 141 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किये थे। हस्ताक्षर करने वाले देशों में यूरोपीय संघ जापान, कनाडा तथा अन्य प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रों ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर किये थे। इन देशों ने इस बात पर सहमति प्रकट को कि वर्ष 2012 तथा हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर 1990 के स्तर से 5.2 प्रतिशत कमी की जाये। जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल वद की भविष्यवाणी के अनुसार, वर्ष 1990 से वर्ष 2000 के अंत तक पृथ्वी के तापमान में 1.4° से लेकर 5.8° तक वृद्धि हो सकती है। यदि क्योटो प्रोटोकोल को सफलतापूर्वक लागू किया गया तो वर्ष 2050 तक तापमान वृद्धि में 0.02° से लेकर 0. 28° तक कमी हो सकती है।

"क्योटो प्रोटोकोल में दो मुख्य कमियाँ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो विश्व के सीएफसी उत्सर्जन का एक–तिहाई उत्सर्जन करता है। इस सम्मेलन का बहिष्कार किया।"[4]

उभरती हुई आर्थिक शक्तियों, भारत तथा चीन ने यद्यपि क्योटो प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किये. परंतु 2012 तक उनके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर कोई रोक नहीं लगाई गई। इस छूट के कारण भारत तप चीन का देरी से औद्योगीकरण करना है। भारत तथा चीन विश्व की ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 14 प्रतिशत उत्सर्जन करते हैं। रूस इन गैसों का 17 प्रतिशत उत्सर्जन करता है, परंतु उसने इस संधि पर हस्ताक्षर किये।। प्रकार रूस का इस प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करना एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है।

मांट्रियल कार्य योजना

मॉन्ट्रियल प्रोटोकोल की ग्यारहवीं बैठक 28 नवंबर से 9 दिसंबर, 2005 में कनाडा के मांट्रियल में हुई। यह कार्य योजन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। वास्तव में मांट्रियल कार्य योजना क्योटो प्रोटोकोल की हो संपूरक है। इस सम्मेलन में भी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर कटौती लगाने पर परिचर्चा की गई।

बाली शिखर सम्मेलन

बाली शिखर सम्मेलन दिसंबर 2007 में नूसा दुआ नगर में आयोजित किया गया था। बाली शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देस इस तथ्य पर विचार करना था कि 2012 की सीमा के पश्चात ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर किस प्रकार नियंत्रण लगाया जायेगा। हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को 2012 के पश्चात एक क्रमबद्ध ढंग से कम करने की योजना तैयार की गई थी।

''पोजनान शिखर सम्मेलन पोलैंड के पोजनान नगर के दिसंबर 2008 में आयोजित इस सम्मेलन में सदस्यों में सैद्धांतिक रूप से सहमति थी कि धी देश, गरीब देशों की सहायता करें ताकि वह अपनी वन संपदा को सुरक्षित कर सकें तथा इससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण पाया जा सकता है।''[5] धनी देशों के इस कदम से जलवायु परिवर्तन को रोकने में काफी सहायता मिल सकती है।

कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन

कोपेनहेगन के बेला सेंटर में दिसंबर 2009 में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित इस सम्मेलन में 192 देशों के 150 प्रमुख नेताओं, मंत्रियों तथा अधिकारियों ने परिचर्चा की थी। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन संबंध में एक बड़ी योजना तैयार करना था, ताकि 2012 के पश्चात प्रभावी ढंग से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाई जा सके।

इस सम्मेलन मे जलवायु परिवर्तन संबंधी 13 बिंदुओं वाला एक राजनैतिक समझौता किया गया जिसमें पर संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसे देशों ने भी भाग लिया। इनके अतिरिक्त 23 अन्य राष्ट्रों ने इससे सहमति जताई। इस समझौते की मुख्य विशेषता यह थी कि सभी विकसित देशों ने वनों में निवेश करने के लिये सहमति जताई। वनों के संरक्षण के लिये विकसित देशों ने, विकासशील देशों को 30 बिलियन डालर 2010 से 2012 के समय में देने के लिये सहमति प्रदान की। इस सम्मेलन में इस बात पर भी बल दिया गया कि वित्तीय संसाधनों का विकासशील देशों में जंगल लगाने के काम में खर्च किया जाये।

संदर्भ सूची

1. *हुसैन माजिद, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जी. के पब्लिशन दिल्ली, संस्करण 2020, पृ. 551*
2. *वहीं, पृ. 554*
3. *वहीं, पृ. 558*
4. *वहीं, पृ. 559*
5. *वहीं, पृ. 560*

Contributors Details:

डॉ. उपेन्द्र कुमार